डॉ अम्बेडकर फैलोशिप योजना

प्रस्तावनाः— माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की 125वीं जयन्ती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान प्रतिभावान अनुसूचित जाति वर्ग के शोधार्थियो को डॉ. बाबा साहेब के विचार एवं अवधारणाओं पर शोध, पीएच.डी/पोस्ट डाक्टरेट रिसर्च हेतु आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से "अम्बेडकर फैलोशिप योजना" प्रारम्भ किए जाने की घोषणा की गई है, जिसमें प्रथम चरण में प्रतिवर्ष 6 शोधार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। यह फैलोशिप (i) समाजशास्त्र (ii) लोक प्रशासन (iii) विधि (iv) अर्थशास्त्र (v) राजनीति शास्त्र एवं (vi) दर्शन शास्त्र विषय में प्रदान की जाएगी।

अम्बेडकर पीठ के उद्देश्य

अम्बेडकर पीठ के संविधान के अनुसार डॉ. भीमराव अम्बेडकर फाउण्डेशन एक स्वायत्तशासी संस्था है, जिसके मुख्य उद्देश्य निम्न हैः—

क समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र एवं विधि शास्त्र जैसे विविध क्षेत्रों में फेलोशिप प्रदान करना व यू.जी.सी. और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से डॉ. अम्बेडकर की पीठ को फाउण्डेशन में स्थापित करना तथा अनुसूचति जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगो का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन से सम्बन्धित बिन्दुओं को अध्ययन और शोध करने का केन्द्र बनाना।

ख डॉ. अम्बेडकर के विचारों और अवधारणाओं पर गहन अध्ययन करने के लिये केन्द्र बनाना तथा डॉ अम्बेडकर के अंशदान को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करना।

ग क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से विविध संस्थाओं, संगठनों व अकादमियां जो कि सामाजिक, आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत है, का सहयोग लेकर एक केन्द्र बनाना तथा अध्ययन एवं शोध के जरिये डॉ. अम्बेडकर के विचारों को समझने व शैक्षणिक, सृजनात्मक एवं साहित्यिक गतिविधियों को विकसित करने में सहायता प्रदान करना।

घ राजस्थान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की समस्याओं को विस्तृत रूप से समझने के लिये विचारों और सूचनाओं की खोज करना तथा अनुसूचित जाति—अनुसूचित जनजाति के विकास के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा की जा रही विविध गतिविधियों, कार्यकमों एवं नीतियों का मुल्यांकन करना।

ङ राजस्थान सरकार एवं अन्य इच्छुक संगठनों को सामाजिक रूप से वचिंत समूहों के विकास व सशक्तिकरण के लिये सलाह एवं परामर्श देना।

च डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विचारों व अवधारणाओं को जो कि अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं से सम्बन्धित सामाजिक, आर्थिक एव शैक्षणिक सुधारों से सम्बन्धित हों को मीडिया के जरिये प्रचार–प्रसार करना, जो कि सामाजिक न्याय का राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हों।

उक्त घोषणा की कियान्विति के परिप्रेक्ष्य में, निम्नानुसार दिशा–निर्देश प्रसारित किए जाते हैं:–

(1) योजनान्तर्गत आवेदन हेतु न्यूनतम योग्यता एवं पात्रता

(i) ओवदक राजस्थान का मूल निवासी हो।

(ii) स्नातकोतर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण विद्यार्थी, जिसके द्वारा न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक अर्जित किये गये हो।

(iii) विधि द्वारा स्थापित राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित निम्नांकित विषयों के पीएच.डी./पोस्ट. डाक्टरेट रिसर्च पाठ्यक्रम में प्रवेशित हो:–

(a) समाजशास्त्र

(b) लोक प्रशासन

(c) विधि

(d) अर्थशास्त्र

(e) राजनीति शास्त्र

(f) दर्शन शास्त्र

(g) बाबा साहेब के विचार एवं अवधारणाओं से सबंधित अन्य विषय

(iv) चयन प्रकिया में केन्द्रीय या राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में प्रवेशित शोधार्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(v) अभ्यर्थी राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति वर्ग का हो।

(2) **आवेदन हेतु एक परिवार में अधिकतम संख्या** :– एक परिवार (माता–पिता/सरंक्षक) के अधिकतम दो बच्चे योजनान्तर्गत आवेदन कर सकते है।

(3) आवेदन की प्रकियाः– योजनान्तर्गत सबंधित आवेदक को निम्नानुसार आवेदन करना होगाः–

(अ) राज्य सरकार द्वारा फैलोशिप हेतु जारी विज्ञापन की दिनांक से 1 माह की अवधि में आवेदन करना होगा।

(ब) योजना का मुख्य उद्देश्य बाबा साहेब के विचार एवं अवधारणाओ पर शोध करना एवं प्रचार प्रसार करना है। अतः बाबा साहेब के विचार एवं अवधारणाओं पर शोध करने वाले शोधार्थियों को यह प्रोत्साहन राशि अन्यत्र मिलने वाली फैलोशिप से अतिरिक्त होगी।

(स) आवेदन पत्र के साथ जाति एवं पीएच.डी/पोस्ट डाक्टरेट रिसर्च हेतु प्रस्तावित पाठ्यकम/विषय आदि से संबंधित दस्तावेज संलग्न करने होंगे।

(द) फैलोशिप हेतु आवेदन पत्र सचिव, अम्बेडकर पीठ, मूण्डला, जमवारामगढ, जयपुर को भिजवाना होगा। (ई–मेल आई. डी secretaryapj@gmail.com)

(4) **आवेदन पत्र छानबीन (scrutiny) समिति–** योजनान्तर्गत फैलोशिप हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन (scrutiny) हेतु निम्नानुसार कमेटी होगीः–

(1) सचिव, अम्बेडकर पीठ, मूण्डला, जयपुर

(2) अतिरिक्त निदेशक (सामाजिक सुरक्षा) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

(3) वरिष्ठ लेखाधिकारी डॉ. बी. आर. अम्बेडकर फाउण्डेशन, मूण्डला, जयपुर

(4) उप शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान जयपुर

(5) विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि

उक्त कमेटी प्राप्त आवेदन पत्रों की दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में छानबीन कर पूर्ण आवेदन पत्रों का विवरण निदेशक शोध, डॉ बी आर अम्बेडकर फाउण्डेशन, मूण्डला, जयपुर को प्रस्तुत करेगी।

अनुमोदन समिति (एकेडमिक कमेटी) :– आवेदकों से प्राप्त पूर्ण आवेदन पत्रों में से फैलोशिप योजनान्तर्गत आवेदकों का चयन एवं अनुमोदन हेतु एकेडमिक कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किये जायेगें। एकेडमिक कमेटी डॉ.बी.आर.अम्बेडकर फाउण्डेशन के नियम एवं विधान के नियम 4.9 के अनुसार होगी।

(5) **योजनान्तर्गत फैलोशिप के रूप में देय राशि के भुगतान की प्रकिया :–**

(अ) योजनान्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों को अधिकतम 3 वर्ष के लिये फैलोशिप प्रदान की जावेगी, जिसके तहत प्रतिमाह 15000 रूपयें की राशि देय होगी। विशेष परिस्थितियों में शोध कार्य के मुल्यांकन के बाद 1 या 2 वर्ष के लिये बढाई जा सकती है।

(ब) चयनित अभ्यर्थी कों सबंधित विश्वविद्यालय अथवा संस्थान, जिसमें वह पीएच.डी/पोस्ट डाक्टरेट रिसर्च कर रहा हो, के संस्था प्रधान से प्रवेश के सबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

(स) पीएच.डी/पोस्ट डाक्टरेट रिसर्च हेतु चयनित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा निर्धारित मानदण्डों के संबध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(द) शोधार्थी द्वारा किये गये शोध कार्य की प्रति वर्ष की प्रगति रिपोर्ट अम्बेडकर पीठ को प्रस्तुत की जायेगी एवं शोध कार्य पूर्ण.होने पर प्रति अम्बेडकर पीठ को भी उपलब्ध करायी जावेगी।

(य) आहरित राशि का भुगतान चैक द्वारा अथवा डीडी के माध्यम से सबंधित शोधार्थी के बैंक खाते में जमा की जावेगी। निदेशक शोध डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, फाउण्डेशन, मूण्डला, जयपुर द्वारा समय समय पर शोध पाठ्यक्रम में अध्ययनरत चयनित शोधार्थियों की शैक्षणिक स्थिति की जानकारी सबंधित विश्वविद्यालयों/संस्था प्राचार्यों से प्राप्त की जावेंगी

(र) फैलोशिप के रूप में प्राप्त राशि का यदि शोधार्थी द्वारा दुरूपयोग किये जाने की स्थिति में सबंधित शोधार्थी से भुगतान की गई राशि मय 10 प्रतिशत ब्याज सहित वसूलनीय होगी। शोधार्थी को इस आशय की वचनाबद्धता 100/—रूपयें नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शोधार्थी को प्रस्तुत करनी होगी।

(ल) योजनान्तर्गत 1 वर्ष उपरान्त एकेडमिक कमेटी (डॉ बी. आर. अम्बेडकर फाउण्डेशन) द्वारा योजना की समीक्षा की जावेगी।

दिनांक 16.3.2017 को अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा ली जाने वाली बैठक के संबध में सक्षिप्त नोट

अम्बेडकर पीठ के उद्देश्य– अम्बेडकर पीठ के संविधान प्रारूप के अनुसार डॉ0 भीमराव अम्बेडकर फाउण्डेशन एक स्वायत्तशाषी संस्था है, जिसके मुख्य उद्देश्य निम्न हैः–

(i) समाज शास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र एवं विधि शास्त्र जैसे विविध क्षेत्रों में फेलोशिप प्रदान करना, डॉ0 अम्बेडकर पीठ में उत्कृष्ठ श्रेणी का शोध केन्द्र स्थापित करना तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन से सम्बन्धित बिन्दुओं को अध्ययन और शोध करने का केन्द्र बनाना।

(ii) डॉ0 अम्बेडकर के विचारों और अवधारणाओं पर गहन अध्ययन करने के लिए केन्द्र बनाना तथा डॉ0 अम्बेडकर के योगदान को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करना।

(iii) क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से विविध संस्थाओं, संगठनों व अकादमियां जो कि सामाजिक, आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत है का सहयोग लेकर एक केन्द्र बनाना तथा अध्ययन एवं शोध के जरिये डॉ0 अम्बेडकर के विचारों को समझने व शैक्षणिक, सृजनात्मक एवं साहित्यिक गतिविधियों को विकसित करने में सहायता प्रदान करना।

(iv) राजस्थान में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की समस्याओं को विस्तृत रूप से समझने के लिए विचारों और सूचनाओं की खोज करना तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा की जा रही विविध गतिविधियों, कार्यक्रमों एवं नीतियों का मूल्यांकन करना।

(v) राजस्थान सरकार एवं अन्य इच्छुक संगठनों को सामाजिक रूप से वंचित समूहों के विकास व सशक्तिकरण के लिए सलाह एवं परामर्श देना।

(vi) डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के विचारों व अवधारणाओं को जो कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं से सम्बन्धित सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक सुधारों से सम्बन्धित हो को मीडिया के जरिये प्रचार–प्रसार करना जो सामाजिक न्याय का राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो।

1. **अम्बेडकर पीठ को सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाना–**

(अ) इसके लिए पीठ में उत्कृष्ठ श्रेणी के शोध प्रकोष्ठ की स्थापना की जायें। जिसके लिये विषय विशेषज्ञो की नियुक्ति, उनके द्वारा शौध कार्य, सैमीनार व्याख्यान तथा संगोष्ठी तथा उनका प्रकाशन एवं प्रचार प्रसार हेतु अनुमानत 1.50 करोड का व्यय प्रावधान किया जाये।

(ब) पीठ में अम्बेडकर चैयर की स्थापना की जायें। दिल्ली स्थित अम्बेडकर पीठ के द्वारा अम्बेडकर चैयर की स्थापना का प्रावधान है। इसके लिए एक प्रोफेसर (10000 ग्रेड पे), एक असिस्टेंट प्रोफेसर (6000 ग्रेड पे), एक स्टेनो पीए एवं एक च.श्रे.क. के पद होना अनिवार्य है। अतः उक्त पद स्वीकृत कराये जाकर इन पदों पर कार्मिक नियुक्ति किये जाये। इसके पश्चात् 35.00 लाख रू की सहायता अम्बेडकर पीठ, दिल्ली से प्राप्त होने का प्रावधान है।

(स) अम्बेडकर पार्क विकसित किया जाना– पीठ के स्थापना के साथ ही इसमें अम्बेडकर पार्क विकसित करने की योजना भी है। इसके लिए जयपुर विकास प्राधिकरण के सहयोग से इस कार्य में प्रगति लाई जा सकती है।

(द) अम्बेडकर पीठ की बाउण्ड्री वॉल का अधूरा रहा निर्माण कार्य पूर्ण करवाया जावें जिसके लिये करीब 60 लाख का व्यय होना अनुमानित है।

(य) अम्बेडकर पीठ परिसर मे आवासीय असुविधा को देखते हुये एक गेस्ट हाउस एवं एक स्कॉलर होस्टल का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है इसके लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तकमीना एवं

नक्शे तैयार करवा लिये गये है जिसके अनुसार प्रथम चरण में ग्राउण्ड फ्लोर की अनुमानित लागत 638.10 लाख अनुमानित है। जिसके प्रस्ताव भिजवाये जा चुके है।

2. **अम्बेडकर सम्बल योजना–** RSLDC के सहयोग से प्रशिक्षण कार्य चल रहा है। प्रशिक्षणार्थियों को व्यवसाय, रोजगार से जोड़ने हेतु उद्योग विभाग से सहयोग अपक्षित है उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन के प्रयास अम्बेड़कर पीठ द्वारा किये जा रहे है।

(अ) इस सम्बन्ध में **आर.एस.एल.डी.सी.** के माध्यम से नीफा द्वारा 30 पुरूष प्रशिक्षणार्थियों के लिए कम्प्यूटर अकाउण्टिंग टैली कोर्स का प्रथम बैच चलाया जा रहा है एवं महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम विचाराधीन है।

(ब) महिला पॉलोटेक्निक के माध्यम से भी सी.डी.टी.पी. स्कीम के तहत महिलाओं हेतु सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

(स) पीठ में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हेतु कोर्स का संचालन किया जाना भी प्रस्तावित है किन्तु पीठ शहर से दूर होने के कारण एवं आवास व्यवस्था नहीं होने के कारण तथा दूर से आने वाले अभ्यर्थियों को कठिनाई होती है। अतः आवासीय सुविधा आवश्यक है।

3. **अम्बेडकर कौशल विकास केन्द्र–**

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा घोषणा की गई थी कि अम्बेडकर पीठ के माध्यम से कौशल विकास केन्द्र प्रारम्भ कर अभ्याथियो को प्रशिक्षित किया जावे एवं उनको आजीविका/रोजगार एवं उधिमिता से जोडा जाये ।

(अ) छात्रावास निर्माण–अम्वेडकर पीठ शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर है तथा यहॉ पर आवागमन के साधन भी उपलब्ध नही है। अतः पीठ परिसर मे ही आवासीय व्यवस्था की जानी अति आवश्यक हैं। इसके लिये 50–50 महिला एवं पुरूष अभ्यार्थियों के लिये दो छात्रावासों का निर्माण करवाया जाना अति आवश्यक हैं। जिसके प्रस्ताव पूर्व मे भिजवाये जा चुके है।

नोटः छात्रावासों की व्यवस्था होने तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जामडोली स्थित छात्रावासों में कौशल विकास केन्द्र हेतु अनुमति दी जावे।

(ब) वर्कशॉप स्थापित करना–

1. कम्प्यूटर लैब– 30 कम्प्यूटर एवं फर्नीचर की आवश्यकता– अन्य सामग्री
2. टैलरिंग वर्कशॉप– 30 सिलाई मशीन एवं फर्नीचर की आवश्यकता एवं अन्य सामग्री
3. लैब इलेक्ट्रीशियन
4. डीजल इंजन एवं मोटर ड्राइविंग हेतु आवश्यक उपकरण
5. सुरक्षाकर्मियों के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक संसाधन।

4. **डॉ अम्बेडकर स्टार्टअप योजना–**

अम्वेडकर पीठ द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। यहॉ से प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात प्रशिक्षित अभ्यार्थियों को स्वरोजगार/आजीविका एवं उधमिता प्रोत्साहन के लिये अम्बेडकर पीठ प्रयासरत है।

5. **प्रतिभावान दलित छात्रों को पी.एच.डी अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता–(अम्बेडकर फैलोशिप योजना)–**

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसके लिए आवश्यक स्वीकृति और बजट उपलब्ध करवायें एवं दी जाने वाली फैलोशिप का निर्धारण भी करावें। यह फेलोशिप अनु. जाति के शोध छात्रो के मिलने वाली राशि से अतिरिक्त होगी। इस हेतु प्रथम चरण में 5 विधार्थियों को सहायता उपलब्ध करवाई जाय । इसके लिये प्रचार एवं प्रसार किया जाना आवश्यक हे इस हेतु उच्च शिक्षा विभाग एवं सा.न्या. अधिकारिता विभाग दोनो के योगदान की आवश्यकता होगी।

6. **पीठ मे उच्च स्तरीय पुस्तकालय की स्थापना**

डॉ. बाबासाहेब अम्बेड़कर जयन्ती 14 अप्रेल 2016 को माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा पीठ परिसर में उच्च स्तरीय पुस्तकालय (परम्परागत एवं डिजीटल) स्थापित करने की भी घोषणा की है। शोध कार्य हेतु पुस्तकालय की अति आवश्यकता है। तथा बाबा साहब के विचारों के प्रचार प्रसार तथा अभिभाषण एवं उनसे सम्बन्धित पठनीय एवं विचार सामग्री एकत्र करने हेतु उच्च स्तरीय पुस्तकालय स्थापित

करना अति आवश्यक है। परम्परागत एवं डिजीटल पुस्तकालय की स्थापना की जानी है। जिसके लिए प्रथम चरण में बजट की मांग प्रस्तावित है –

(अ) पुस्तकें क्रय हेतु – 20.00 लाख रूपये
(ब) फर्नीचर क्रय हेतु– 15.00 लाख रूपये
(स) कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं सर्वर क्रय
हेतु (डिजीटल लाइब्रेरी हेतु) – 15.00 लाख रूपये

इस संबध मे सूचना एवं प्रौधोगिकी विभाग एवं भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा कार्यवाही की जानी है। इसके लिये पीठ द्वारा आवश्यक प्रस्ताव संबधितों को भिजवाये जा रहे है।

7. **डा अम्बेडकर अर्न्तराष्ट्रीय छात्रवृति योजना–**

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा धोषणा की गई थी कि अनुसूचित जाति के प्रतिभावान विधार्थियों को विदेश मे अपने स्तर पर उच्चस्तरी शिक्षण संस्थानों मे प्रवेश लेने पर अम्बेडकर अर्न्तराष्ट्रीय छात्रवृति योजना प्रारम्भ कर प्रतिवर्ष 5 अभ्यार्थियों को प्रति छात्र 25 लाख रूपये प्रति वर्ष की सहायता उपलब्ध करवाई जाये।इसके लिये उच्च शिक्षा विभाग का सहयोग लिया जाना अपेक्षित है।

8. **कोटा विश्वविधालय मे अम्बेडकर चेयर की स्थापना –**

बाबा साहव के विचारों पर शौध हेतु कोटा विश्वविद्यालय मे अम्बेडकर चेयर की स्थाना की धोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा की गई थी इस संबध में कोटा के माननीय कुलपति महोदय से वार्ता की गई है उनके द्वारा पत्र व्यवहार जारी है।

9. **डा. अम्बेडकर मैमोरियल वेलफेयर सोसायटी मे कॉन्फ्रेन्स हॉल का निर्माण–**

निदेशालय सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा कार्यवाही की जानी है।

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

राजस्थान रेजीडेन्सियल ऐज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (राईस)

कमरा संख्या 411, अम्बेडकर भवन,सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर। 0141-2220278

क्रमांकः एफ1(A)(6)अम्बे.पीठ/राईस/मूण्डला/2017/ 7405 दिनांक 28/3/17

अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए शोध हेतु अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय छात्रवृति योजना

1. **प्रस्तावनाः–** माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की 125 वीं जयन्ती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान प्रतिभावान अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों से पी.एच.डी. स्तर पर अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से **अम्बेड़कर अन्तर्राष्ट्रीय छात्रवृति योजना प्रारंभ किये जाने की घोषणा की गई है, जिसमें प्रथम चरण में मानविकी एवं समाजविज्ञान के क्षेत्र में 5 शोधकर्ताओं को प्रति छात्र रूपये 25.00 लाख तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी।**

2.उक्त घोषणा की क्रियान्विति के परिप्रेक्ष्य में, निम्नानुसार दिशा–निर्देश प्रसारित किए जाते हैं:–

(1) **योजनान्तर्गत आवेदन हेतु न्यूनतम योग्यता एवं पात्रता।**

(i) आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो।

(ii) विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण विद्यार्थी, जिसके द्वारा न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक अर्जित किए गए हों।

(iii) भारत के बाहर के विदेशी विश्वविद्यालय (संबंधित देश के प्राधिकृत निकाय से प्रत्यायन (Accreditation) विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान)से निम्नांकित विषयों के पी.एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेशित होः–

(a) समाजशास्त्र

(b) लोक प्रशासन

(c) विधि

(d) अर्थशास्त्र

(e) राजनीति शास्त्र

(f) मानव शास्त्र

(2) **आयु सीमाः**–अभ्यर्थी की आयु योजनान्तर्गत जारी विज्ञापन की तिथि को 35 वर्ष से कम हो।

(3) **आय सीमाः–** अभ्यर्थी के सम्पूर्ण परिवार की समस्त स्त्रोतों से अर्जित आय 6.00 लाख रूपये वार्षिक से अधिक न हो।

(4) विद्यार्थी उक्त योजना के अतिरिक्त अन्य किसी विभाग/संस्थान से छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा हो। विद्यार्थी को इस आशय की वचनबद्धता 100/– रूपये नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अभ्यर्थी को प्रस्तुत करनी होगी।

(5) अभ्यर्थी राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति वर्ग का हो।

(6)**वित्तीय सहायताः–** अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में अपने स्तर पर पी.एच.डी. में प्रवेश लेने पर उक्त योजनान्तर्गत अधिकतम 25.00 लाख रूपये की सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी। उक्त छात्रवृत्ति निम्नानुसार स्वीकृत की जाएगीः–

(i) प्रथम वर्ष – 10.00 लाख

(ii) द्वितीय वर्ष – 10.00 लाख

(iii) तृतीय वर्ष – 5.00 लाख

(7) **आवेदन की प्रक्रियाः**— योजनान्तर्गत संबंधित आवेदक को निम्नानुसार आवेदन करना होगा:—

(अ) राज्य सरकार द्वारा छात्रवृति हेतु जारी विज्ञापन की दिनांक से 1 माह की अवधि में आवेदन करना होगा।

(ब) आवेदन पत्र के साथ आयु, वार्षिक आय, जाति एवं पी.एच.डी. हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम /विषय आदि दस्तावेज संलग्न करने होंगे।

(स) आय प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करना होगा।

(द) छात्रवृति हेतु आवेदन पत्र सचिव, अम्बेडकर पीठ, मूण्डला, जमवारामगढ, जयपुर को भिजवाना होगा (ई—मेल आई. डी. secretaryapj@gmail.com)।

(य) विद्यार्थी द्वारा किये गये शोध कार्य को प्रति वर्ष की प्रगति रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत की जायेगी एवं शोध कार्य पूर्ण होने पर प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जाएगी।

(8) **आवेदन पत्र छानबीन (scrutiny) समितिः**— योजनान्तर्गत छात्रवृति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन (scrutiny) हेतु निम्नानुसार कमेटी होगी:—

(1) अतिरिक्त निदेशक (अनु. जाति एवं जनजाति कल्याण), SJED — अध्यक्ष
(2) सचिव, अम्बेड़कर पीठ, मूण्डला, जयपुर — सदस्य
(3) अतिरिक्त निदेशक (सामाजिक सुरक्षा) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग — सदस्य
(4) उप शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप—3) विभाग, राजस्थान, जयपुर — सदस्य
(5) उप निदेशक (राईस), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग — सदस्य सचिव
(6) सहायक निदेशक (शिक्षा) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग — सदस्य

उक्त कमेटी प्राप्त आवेदन पत्रों की दिशा—निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में, छानबीन कर पूर्ण (Complete) आवेदन पत्रों का विवरण आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत करेगी।

(9) **राज्य स्तरीय अनुमोदन समितिः**— आवेदकों से प्राप्त पूर्ण आवेदन पत्रों में से छात्रवृति योजनान्तर्गत अधिकतम 5 आवेदकों का चयन एवं अनुमोदन हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति का गठन होगा :—

(1) अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर — अध्यक्ष
(2) अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर — सदस्य
(3) महानिदेशक, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर फाउण्डेशन, मूण्डला, जयपुर — सदस्य
(4) विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय—2) विभाग, राजस्थान, जयपुर — सदस्य
(5) निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर — सदस्य सचिव
(6) कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा मनोनीत प्रोफेसर (जो कि योजना में वर्णित पाठ्यक्रम मानविकी अथवा समाज विज्ञान का विशेषज्ञ हो) — सदस्य

(10) **योजनान्तर्गत छात्रवृति के रूप में देय राशि के भुगतान की प्रक्रिया :—**

(अ) योजनान्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों को अधिकतम 3 वर्षों के लिए छात्रवृति प्रदान की जावेगी।

(ब) चयनित अभ्यर्थी को संबंधित विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्थान जिससे विद्यार्थी पी.एच.डी. कर रहा हो, के संस्था प्रधान से प्रवेश के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

(स) पी.एच.डी. हेतु चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान द्वारा निर्धारित उपस्थिति के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(द) छात्रवृति हेतु निर्धारित राशि की स्वीकृति निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर के द्वारा जारी की जाएगी। आहरित राशि चैक द्वारा अथवा डीडी के माध्यम से संबंधित विद्यार्थी के बैंक खाते में जमा की जावेगी। निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय—समय पर Ph.D पाठ्यक्रम में अध्ययनरत चयनित विद्यार्थियों की शैक्षणिक स्थिति की जानकारी संबंधित विश्वविद्यालय अथवा संस्थाओं से प्राप्त की जाएगी।

(य) छात्रवृति के रूप में प्राप्त राशि का यदि विद्यार्थी द्वारा दुरूपयोग किए जाने की स्थिति में संबंधित विद्यार्थी से भुगतान की गई राशि मय 10% ब्याज सहित वसूलनीय होगी। विद्यार्थी को इस आशय की वचनबद्धता 100/- रूपये नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अभ्यर्थी को प्रस्तुत करनी होगी।

(र) योजनान्तर्गत 1 वर्ष उपरान्त राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति द्वारा योजना की समीक्षा की जावेगी।

(रवि जैन)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांकः एफ1(A)(6)अम्बे.पीठ/राईस/मूण्डला/2017/ 7406-24 दिनांक 28/3/17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिदेशक, डॉ. भीमराव अम्बेडकर फाउण्डेशन, (अम्बेडकर पीठ) मुण्डला, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं सचिव राईस, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सहायक, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (अनु. जाति एवं जनजाति कल्याण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. अतिरिक्त निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. सचिव, डॉ. भीमराव अम्बेडकर फाउण्डेशन, (अम्बेडकर पीठ) मुण्डला, जयपुर।
15. उप निदेशक राईस।
16. सहायक निदेशक (प्रचार), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मुख्यावास।
17. सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मुख्यावास।
18. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को संबंधित को अविलम्ब ई-मेल कराने हेतु।

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव